UPVR010076852026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी प्रथम वाराणसी।

पीठासीन अधिकारी-कुलदीप सिंह-II, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2739 सन् 2026

किशन पटेल पुत्र श्री महेन्द्र पटेल निवासी ग्राम बहोरी, बीरापट्टी, थाना फूलपुर, वाराणसी।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उ०प्र० **.....अभियोजन पक्ष।**

मु.अ.सं.-161/2026

अंतर्गत धारा-69,89 BNS

थाना-चितईपुर, वाराणसी।

<u>आदेश</u>

1. आवेदक/अभियुक्त किशन पटेल पुत्र श्री महेन्द्र पटेल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ महेन्द्र पटेल का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

2. वादी मुकदमा की तहरीर पर अभियुक्त किशन पटेल के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मु.अ.सं.-161/2026 अंतर्गत धारा 69,89 BNS थाना चितईपुर, वाराणसी में पंजीकृत करायी गयी है।

3. जमानत प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि यह आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में निस्तारित या विचाराधीन नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन अवर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त पूरी तरह से निर्दोष है। वादिनी मुकदमा ने साजिश के तहत नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से पूर्णरूपेण फर्जी एवं मनगढ़न्त आरोपों के आधार पर उपरोक्त मुकदमें में नामित कर अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा के साथ किसी भी प्रकार का कोई जुर्म अथवा अपराध न तो कारित किया है और न ही किसी भी अपराध से आवेदक/अभियुक्त का कोई वास्ता सरोकार ही है। सत्याता यह है कि आवेदक/अभियुक्त के भाई राजीव पटेल की सगी साली वादिनी मुकदमा आवेदक/अभियुक्त के घर बराबर आती जाती थी जिस कारण आवेदक/अभियुक्त से भी बातचीत करती थी। जब आवेदक/अभियुक्त को इस बात की जानकारी हुई कि वादिनी मुकदमा का अवैध संबंध अन्य लड़को से है तब आवेदक/अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा से बातचीत करना बन्द करते हुए अपने

Digitally signed by Kuldeep Singh II
Date: 2026.08.14 17:06:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

घर आने से भी मना कर दिया जिससे नाराज होकर वादिनी मुकदमा द्वारा आवेदक/अभियुक्त पर नाजायज दबाव बनाने एवं नाजायज लाभप्राप्त करने की नियत से झूठा आरोप लगाकर उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 04.07.2026 से जनपद कारागार वाराणसी में निरुद्ध है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। वादी मुकदमा/पीड़िता द्वारा पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट से अभियुक्त पर वादी मुकदमा/पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने तथा वादी मुकदमा/पीड़िता के गर्भवती होने पर अभियुक्त द्वारा तीन बार दवा खिलाकर उसका गर्भपात कराने का अभियोग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, वादी मुकदमा/पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस व बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस के समग्र अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त वादी मुकदमा/पीड़िता की बहन का देवर है जिसे वादी मुकदमा/पीड़िता वर्ष 2023 से जानती है। वर्ष 2023 में आवेदक/अभियुक्त व वादी मुकदमा की पहली बार मुलाकात आवेदक/अभियुक्त के घर में हुई है जहां उनके मध्य खुले में संबंध बने हैं तथा दूसरी बार जब वादी मुकदमा/पीड़िता अपनी दीदी के पास रूकी तो वादी मुकदमा/पड़िता तथा आवेदक/अभियुक्त के मध्य रोज शारीरिक संबंध बने हैं, जो यह इंगित करता है कि वादी मुकदमा/पीड़िता व आवेदक/अभियुक्त के मध्य प्रेम संबंध था जिसके वशीभूत होकर वादी मुकदमा/पीड़िता द्वारा आवेदक/अभियुक्त को वे सभी स्वतंत्रताएँ दे रखी थी, जो एक स्त्री द्वारा अपने पति को दी जाती है और इसी प्रेम संबंध के चलते वादी मुकदमा/पीड़िता द्वारा अपनी सहमति से आवेदक/अभियुक्त को उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने दिया गया। वादी मुकदमा/पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. में प्रेगनेन्ट होना व तीन बार गर्भपात कराये जाने का कथन किया है परंतु इस संबंध में कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र अभिलेख पर नहीं है। यद्यपि पीड़िता के अल्ट्रासाउंड जांच के दौरान यूट्रस में दिखे कुछ पार्ट्स को निकालकर संरक्षित किये जाने का तथ्य केश डायरी के पर्चा सं0 3 मे है परंतु पीड़िता के पूरक चिकित्सीय विधिक आख्या केश डायरी पर नहीं है। वादी मुकदमा/पीड़िता स्वयं 20 वर्षीय वयस्क महिला है जो न केवल अपना भला बुरा सोचने व समझने में सक्षम है बल्कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों की नैतिकता और उनके महत्व को भी समझने में सक्षम है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 04.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **महेश्वर टिग्गा बनाम झारखंड**

राज्य (2020)10 SCC 108 के पैरा 14 में प्रतिपादित किया है कि-

14. Under Section 90 IPC, a consent given under a misconception of fact is no consent in the eye of the law. But the misconception of fact has to be in proximity of time to the occurrence and cannot be spread over a period of four years. It hardly needs any elaboration that the consent by the appellant was a conscious and informed choice made by the after due deliberation, it being spread over a long period of time coupled with a conscious positive action not to protest. The prosecutrix in her letters to the appelant also mentions that there would often be quarrels at her home with her family members with regard to the relationship, and beatings given to her.

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **उदय बनाम स्टेट आफ कर्नाटक 2003 SCC (Cri) 775 के पैरा 21** में प्रतिपादित किया है कि-

21. It therefore appears that the consensus of judicial opinion is in favour of the view that the consent given by the prosecutrix to sexual intercourse with a person with whom she is deeply in love on a promise that he would marry her on a later date, cannot be said to be given under a misconception of fact. A false promise is not a fact within the meaning of the Code. We are inclined to agreewith this view, but we must add that there is no straitjacket formula for determining whether consent given ny the prosecutrix to sexual intercourse is voluntary, or whether it is given under a misconception of fact. In the ultimate analysis, the tests laid down by the courts provide at best guidance to the judicial mind while considering a question of consent, but the court must, in each case consider the evidence before it and the surrounding circumstances, before reaching a conclusion, because each case has its own peculiar facts which may have a bearing on the question whether the consent was voluntary, or was given under a misconception of fact. It must also wigh the evidence keeping in view the fact that the burden is on the prosecution to prove each and every ingredient of the offence, absence of consent being one of them.

8. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व अभियुक्त की निरूद्धता अवधि व माननीय उच्चतम न्यायालय की विधिक नजीरों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त है।

अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

9. आवेदक/अभियुक्त किशन पटेल की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2739/2026 मु.अ.सं. 161/2026 थाना-चितईपुर, वाराणसी के मालमे में मु० 1,00,000/-रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के एक जमानतदार दाखिल करने पर स्वीकृत किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त इस आशय का भी अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगा कि-

i. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई धमकी, वचन या लालच ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा जो प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ हो जिससे कि उसे न्यायालय के समक्ष या पुलिस अधिकारियों के समक्ष सही तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित किया जा सके।

ii. आवेदक/अभियुक्त दौरान विचारण प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा व अनावश्यक स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

iii. आवेदक/अभियुक्त सक्षम न्यायालय को सूचित किये बिना भारत देश नहीं छोड़ेगा।

उपरोक्त जमानत आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक जिला कारागार वाराणसी को जरिये ई-मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये की आदेश का इंद्राज E-Prision Software में करें। यदि सात दिन के अंदर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव डी.एल.एस.ए. को प्रदान करें। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने की एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना संबंधित न्यायालय को अविलंब प्रेषित करें।

दिनांक-14.08.2026

(कुलदीप सिंह-II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
द्रुतगामी प्रथम, वाराणसी।

अमन कुमार चौहान(आशुलिपिक) जे.ओ कोड-यू.पी 1818